कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांकःसा0— 3113 /मी0क्षे0/33 दिनांक,मीरजापुर, ~~जनवरी~~ 02-02-2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः— जनपद—सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भः— 1— भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर—एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या— 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./45 दिनांक— 18.04.2018

2— अनु सचिव , उ0प्र0 शासन , वन एवं वन्यजीव अनुभाग—2 का पत्र संख्या— भा.स. 81/14—2—2018—800(118)/2017 लखनऊ दिनांक— 03.07.2018

3— आपका पत्र संख्या— 39/11—सी—एफ0पी0/यू.पी./Irrig /20269/2016 लखनऊ दिनांक— 06 जुलाई 2018

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर—एच, अलीगंज लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक— 18.04.2018 द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या—2613/रेनुकूट/15—117 दिनांक 22.01.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार मय संस्तुति सहित संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

Obser	Observation of GOI	Reply
1	2	3
1	Color coding in the Kml files(provided online) as well as in CD of proposed land to be diverted are in a single colour due to which the distinction between Forest land and Non-forest land is difficult . It should be in the different colours coding.	इस बिन्दु के अनुपालन में ओबरा वन प्रभाग एवं रेनुकूट वन प्रभाग में प्रस्तावित वन भूमि एवं गैर वन भूमि को अलग—अलग कलर से दर्षाते हुए सी0डी0 संलग्न है ।
2	The data provided in CD should be divisions wise .	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभाग वार सी0डी0 संलग्न है ।
3	The key coordinates of proposed land to be diverted have not be given	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित key coordinates संलग्न है ।
4	The proposed CA land for the both divisions i.e. Forest Division Renukoot and Obra are in linear format. The Kml. File of proposed CA land shows presence of agricultural land which may be reviewed.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि रेनुकूट वन प्रभाग एवं ओबरा वन प्रभाग की प्रभावित वन भूमि 127.1637 हे0 के सापेक्ष कनहर निर्माण खण्ड— तृतीय, पिपरी—सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के बभनी एवं विण्ढमगंज रेंज अन्तर्गत समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराया जाना है जो भूमि कनहर परियोजना की भूमि है तथा कनहर निर्माण खण्ड पिपरी—सोनभद्र के कब्जे की भूमि है । प्रस्तावित गैर वन भूमि से संबंधित के0एम0एल0फाईल प्रेषित की जा चुकी है ।
5	Cost Benefit analysis has not been provided as new guideline of the Ministry.	इस बिन्दु के अनुपालन में भारत सरकार प्र्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिषा निर्देषो

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांकःसा0–3114 /मी0क्षे0/33 दिनांक, मीरजापुर,~~जनवरी~~ 02-02-2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भः– 1– भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./219 दिनांक– 20.08.2018

2– आपका I पत्र संख्या– 398/11–सी–एफ0पी0/यू.पी./Irrig /20269/2016 लखनऊ दिनांक– 21 अगस्त 2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त होने वाले समुतल्य गैर वन भूमि का निरीक्षण, श्री के0के0 तिवारी, वन संरक्षक, केन्द्रीय द्वारा दिनांक–24.05.2018 को किया गया था। स्थलीय निरीक्षणोपरान्त वन संरक्षक, केन्द्रीय द्वारा यह अवगत कराया गया था कि परियोजना में प्रभावित कुल 127.1637 हे0 वन भूमि के सापेक्ष कनहर परियोजना द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करायी जाने वाली समतुल्य गैर वन भूमि 132.6126 हे0 में पूर्व से पेड़–पौधे लगे हुए है, जिसके कारण वनीकरण की भूमि कम हो जायेगी। अतः कनहर परियोजना द्वारा 132.6126 हे0 गैर वन भूमि के अलावा कुछ और गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि उस पर भी वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जा सकें। वन संरक्षक, केन्द्रीय द्वारा दिये गये निर्देश एवं उसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या –2458/रेनुकूट/15–117 दिनांक 1.01.2019 द्वारा अनुपालन आख्या निम्नानुसार इस कार्यालय को संरतुति सहित प्रेषित किया गया है :–

Obser No.	Observation of GOI	Reply
1	2	3
1	Reference is invited to queries sought vide this office letter dated 18.04.2018, the compliance of which is awaited. Further , a Site inspection of above Forest proposal for Canal and its distribution system uner Kanhar Irrigation Project in Sonebhadra district was carried out by regional officer on 24.05.2018 in presence of officials of State forest Department and Irrigation department and it was observed that proposed land for equivalent Compensatory afforestation is in lnear shape/form and is covered by standing trees and other vegetation which reduces the net area available for plantation. It was also observed that	भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के विण्ढमगंज रेंज अन्तर्गत ग्राम–कुदरी में 28.1482 हे0 अतिरिक्त गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु लिये जाने वावत उपयुक्त पाया गया है। गैर वन भूमि से संबंधित खतौनी की प्रति, राजस्व मानचित्र, जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र, एवं क्षतिपूरक वनीकरण की 10 वर्षीय योजना की 4–4 प्रतियों में संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

	submergence during flood etc. The concerned officials were advised to identify equivalent area of proposed plantation by including adjoining villages in such a way that area covered by vegetation is excluded and susceptibility to submergence in further reduced. It is requested that a view of the above observation a revised proposal of CA land along with Plantation shceme with minimum 1000 plants per hectare and 10 yrs maintenance as applicable may be furnished to this office at the earliest for further processing of the said proposal.	

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रेषित किये गये प्रश्नगत मामले की आख्या एतद्सह संलग्नक कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में ।

भवदीय

2/2/19

(डा0प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या–3114 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2/2/19

(डा0प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

प्राप्तकिया
सन्तोष कुमार
9450788968

7	Alternatives of forest land have not been examined and details not provided.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है मुख्य नहरों दॉयी कनहर नहर एवं बॉयी कनहर नहर व इसकी समस्त प्रणालियों के संरेखन का विस्तृत रूप से सर्वेक्षण कराने के उपरान्त ही प्रभावित वन क्षेत्र इस प्रकार चयनित किया गया है कि वन क्षेत्र न्यूनतम हो एवं जनता को अधिकतम लाभ प्राप्त हो । वन भूमि हस्तानतरण प्रस्ताव में वन भूमि के न्यूनतम होने एवं अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के संबंध में जिलाधिकारी सोनभद्र , प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग का संयुक्त प्रमाण पत्र की प्रति पृष्ठ संख्या– 15 से 19 पर संलग्न है ।
8	FRA certificate has been obtained much earlier than date of submission of proposal by the Agency, which may be explained	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में दुद्धी तहसील की 62.7805 हे0, रावर्टसगंज तहसील की 0.4498 हे0 वन भूमि का एफ0आर0ए0 प्रमाण–पत्र दिनांक– 28.12.2014 एवं पनः रावर्टसगंज व दुद्धी तहसील की 63.9334 हे0 वन भूमि का एफ0आर0 प्रमाण–पत्र दिनांक– 04.04.2016 को जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी किया गया है । जारी प्रमाण–पत्र के उपरान्त प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2016–17 में प्रभाग में उपलध करायी गयी थी जिसे आपत्तियों के निराकरण कराने के उपरान्त उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की गयी थी ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रेषित किये गये प्रश्नगत मामले की बिन्दुवार आख्या एदतसह संलग्नकर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में ।

भवदीय

2/2/19

(डा0प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या–313 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2/2/19

(डा0प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

प्राप्त किया
सन्तोष कुमार
9450788968